	(वत) धारा 96 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की वैधता के संबंध में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने हेतु फार्म (वथ) धारा 97 की उप धारा (2) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा भुगतान के संबंध में पारित आदेश की निष्पादन की पद्धति (वद) पद्धति जिसमें धारा 107 के तहत् अभिलेख वर्गीकृत और संरक्षित किए जा सकते हैं; (वन) धारा 108 के तहत् अभिलेखों के निरीक्षण और सत्यापित प्रतियाँ प्रदान करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क;	
	111. इस विनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम इसे बनाए जाने के तुरन्त बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा जब सदन का सत्र कुल तीस दिनों की समयावधी में हो जो कि एक ही सत्र का अथवा दो अथवा इससे अधिक के लगातर सत्रों में होगा तथा यदि सत्र अथवा लगातर सत्र जारी रहने के तुरन्त बाद ही सत्र की समाप्ति से पहले उपर्युक्त दोनों सदन नियम अथवा उप विधि में कोई परिवर्तन करने पर सहमत होतें है अथवा दोनों सदन सहमत होते है कि नियम नहीं बनाई जानी चाहिए, तब परिवर्तित रूप में ही यह नियम लागू होगी अथवा लागू नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, अतः ऐसे किसी परिवर्तन अथवा बातिलीकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्यों की वैधता बिना पूर्वधारणा का होगा ।	संसद के समक्ष प्रस्तुत करना
	112. जहाँ कहीं भी जनजातीय परिषद विनियम के प्रावधान अण्डमान तथा निकाबार द्वीपसमूह (आदिम जनजाति सरंक्षण) विनियम; 1956 के प्रावधानों के साथ विरोध होने पर पश्चात्कथित प्रभावी रहेगा ।	सदन के समक्ष नियमों का प्रस्तुतीकरण

*****